


मध्य प्रदेश शासन,  
पर्यावरण विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2019  
क. एफ 12- 06 /2019/32-3 माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिन्सिपल  
बेन्च नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 606/18 में दिनांक 16/1/2019 को पारित  
आदेश के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के मध्य प्रदेश राज्य में  
प्रभावी कियान्वयन संबंधी मॉनीटरिंग हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी  
का गठन किया जाता है:-

| क | अधिकारी एवं विभाग का नाम   |            |
|---|--|------------|
| 1 | माननीय श्री के.के.त्रिवेदी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय, जबलपुर, | अध्यक्ष    |
| 2 | प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र.शासन भोपाल          | सदस्य      |
| 3 | प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.शासन भोपाल      | सदस्य      |
| 4 | प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.शासन     | सदस्य      |
| 5 | प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म.प्र.शासन                            | सदस्य      |
| 6 | केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का प्रतिनिधि               | सदस्य      |
| 7 | सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल                    | सदस्य सचिव |



(अनुपम राजन)


प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
पर्यावरण विभाग

पृ. क. एफ 12- 06/2019/32-3

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2019

प्रतिलिपि:-

- 1 माननीय श्री के.के.त्रिवेदी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
  - 2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
  - 3 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।
  - 4 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
  - 5 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन पर्यावरण विभाग, भोपाल ।
  - 6 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का प्रतिनिधि ।
  - 7 सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



प्रमुख सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
पर्यावरण विभाग